राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 1394/2012/अजमेर.
2. अपील संख्या – 1295/2013/अजमेर.
3. अपील संख्या – 1296/2013/अजमेर.
4. अपील संख्या – 1997/2013/अजमेर.

मैसर्स ज्योति बैटरी इण्डस्ट्रीज,
इण्डस्ट्रियल एरिया, अजमेर.
.....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–द्वितीय, वृत–बी, अजमेर.
.....प्रत्यर्थी.

5. अपील संख्या – 1893/2013/अजमेर.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–द्वितीय, वृत–बी, अजमेर.
.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स ज्योति बैटरी इण्डस्ट्रीज,
इण्डस्ट्रियल एरिया, अजमेर.
.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री ओ. पी. माहेश्वरी, अधिकृत प्रतिनिधि .....व्यवहारी की ओर से.
श्री जमील जई,
उप–राजकीय अभिभाषक .....विभाग की ओर से.

निर्णय दिनांक : **16/02/2017**

निर्णय

1. अपील संख्या 1394/2012, 1295/2013, 1296/2013 व 1997/2013 अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा एवं अपील संख्या 1893/2013 अपीलार्थी सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–द्वितीय, वृत–बी, अजमेर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा पारित किये गये पृथक–पृथक आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :–

अपील संख्या	अपीलीय आदेश		कर निर्धारण आदेश	
	क्रमांक	दिनांक	दिनांक	वर्ष
1394/12	24/11–12/वैट/अजमेर	03.05.12	16.12.10	2008–09
1295/13	42/12–13/वैट/अजमेर	30.04.13	23.01.12	2009–10
1296/13	28/13–14/वैट/अजमेर	08.05.13	08.01.13	2010–11
1997/13	91/12–13/वैट/अजमेर	18.07.13	29.03.10	2007–08
1893/13	42/12–13/वैट/अजमेर	30.04.13	23.01.12	2009–10

लगातार.....2

2. इन सभी अपीलों में विवादित बिन्दु एवं पक्षकार समान निहित होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी को बिक्री कर प्रोत्साहन योजना, 1998 के तहत करमुक्ति का लाभ प्राप्त था जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) लागू होने के बाद आस्थगन योजना में परिवर्तित कराया गया परन्तु व्यवसायी द्वारा आस्थगन की राशि आउटपुट की राशि से गणना की गई है जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आस्थगन की राशि नेट टैक्स पेयबल अनुसार इनपुट राशि घटाते हुए की गई है जिसके सम्बन्ध में अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलों को अस्वीकार किया गया जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

4. विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर यह कथन किया कि चूंकि माननीय राजस्थान कर बोर्ड ने भी ऐसे मामलों में नेट टैक्स पेयबल को ही लाभ योग्य माना है अतः वे इन अपीलों के बिन्दु पर कोई बल नहीं देना चाहते परन्तु कर निर्धारण अधिकारी को यह निर्देश दिये जायें कि जितनी राशि का आस्थगन का लाभ उनके आदेशों में कम किया गया है वह राशि उनके आस्थगन के लाभ में बढ़ा दी जावे। हालांकि कर निर्धारण अधिकारी को भी इस सम्बन्ध में संशोधन हेतु पत्र दिया जाना बताया।

5. विभाग की अपील 1893/2013 में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा यह कथन किया गया है कि विभाग की अपील धारा 58 में आरोपित शास्ति को रूपये 37,500/– के स्थान पर रूपये 5000/– किये जाने का अपीलीय आदेश विधिसम्मत है क्योंकि उनके द्वारा दिनांक 30.09.2011 से पूर्व सभी विवरण पत्र प्रस्तुत कर दिये गये थे अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति को कम करने में कोई अविधिकता नहीं की है क्योंकि कर निर्धारण आदेश दिनांक 15.04.2011 के पश्चात पारित किये गये थे उस समय वेट अधिनियम की धारा 58 विलोपित हो चुकी थी ऐसी स्थिति में इस धारा में शास्ति का आरोपण किया जाना विधि शून्य था अतः विभाग की अपील अस्वीकार करने का कथन किया।

6. विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपील संख्या 1893/2013 स्वीकार करने का कथन करते हुए इस सीमा तक अपीलीय आदेश अपास्त करने का निवेदन किया।

लगातार.....3

7. अपीलार्थी की अपीलों में विवादित वर्षों में चूंकि अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश में आई.टी.सी. की राशि को कम करके जो नेट टैक्स पेयबल राशि का लाभ दिया गया है उसे स्वीकार कर लिया गया है ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपीलार्थी के लाभ की राशि को उस अनुसार उनके खाते में बढ़ाने का आदेश करें क्योंकि यह स्वतः ही अनिवार्य है एवं केवल गणना का विषय है। इसके अलावा अपील संख्या 1893/2013 में विभाग की अपील जिसमें विवरण पत्रों के विलम्ब से प्रस्तुत होने पर जो शास्ति आरोपित की गई है उसे अपीलीय अधिकारी ने पूर्ण विवेचन के साथ में रूपये 5000/– तक कायम रखा है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

8. फलतः उक्त निर्देश के साथ अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें एवं विभाग की अपील संख्या 1893/2013 अस्वीकार की जाती है तथा विभागीय अपील से सम्बन्धित अपीलीय आदेश में चूंकि ब्याज के बिन्दु पर प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है उसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होने से प्रस्तुत इस बिन्दु पर भी अपील अस्वीकार की जाती है।

9. निर्णय सुनाया गया।

16/4/2017

(के. एल. जैन)
सदस्य